न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(आव0वस्तुअधि0)/
(विद्युत अधिनियम) झांसी।
उपस्थित– संजय कुमार ।।। एच.जे.एस.
स्पेशल ट्रायल संख्या 382ए/2018,
सरकार बनाम छोटेलाल राजपूत

धारा –135 भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना– लहचूरा, जिला झांसी,
अ.सं. 139/2017,

दिनांक 02–07–2019,

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई।अभियुक्त छोटेलाल राजपूत के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अर्न्तगत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियुक्त के द्वारा 4,000/–रूपये शमन शुल्क रसीद संख्या 589255/ 21 दिनांक 06–09–2018 को एवं राजस्व निर्धारण धनराशि रूपये 17744रसीद संख्या 589255/ 22, दिनांक 06–09–2018 द्वारा जमा की गयी है। अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा किये जाने के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के द्वारा जारी पत्रांक संख्या एस.पी. नम्वर 392 / 18, वि0वि0ख0/ मऊ, दिनांक 07–09–2018 कागज संख्या 11बी/ 2 से भी अभियुक्त छोटेलाल राजपूत द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा किये जाने की पुष्टि होती है। वादी /विद्युत विभाग द्वारा कथन किया गया कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थना पत्र 11बी/ 2 पर यह पृष्ठांकन किया गया है कि अभियुक्त छोटेलाल राजपूत शमन शुल्क व राजस्व जमा किया जका चुका है, प्रकरण सिर्फ छोटेलाल राजपूत का निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है। अभियुक्त द्वारा भी इसी आधार पर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
न्यायहित में प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र 11बी/ 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 11बी/ 2 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार धारा 152(2) विद्युत अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही छोटेलाल राजपूत के विरूद्ध समाप्त की जाती है। धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अर्न्तगत अभियुक्त छोटेलाल राजपूत को तद्नुसार दोष मुक्त माना जायेगा। अभियुक्त पर यदि कोई बकाया विद्युत बिल होगा, तो विद्युत विभाग उसे वसूल करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 02–07–2019,

(संजय कुमार ।।।)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आव0वस्तु अधि0)/(विद्युत अधिनियम)
झॉसीं।

अरूण कुमार शर्मा,
आशुलिपिक,